



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022026-270083
CG-DL-E-12022026-270083

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]
No. 28]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2026

सं. 46/2025-2026

विषय: वार्षिक आरओडीटीईपी रिटर्न दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

फा. सं. 01/61/180/166/एएम24/पीसी-3.— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.03 एवं 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त वर्ष 2023-24 हेतु, वार्षिक आरओडीटीईपी रिटर्न दाखिल करने की अवधि को संयोजन शुल्क 15,000/- रुपये के भुगतान के साथ दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ाया जाता है, यह इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. बढ़ाई गई तिथि तक एआरआर दाखिल न करने के मामले में, आरओडीटीईपी लाभों को अस्वीकार करने और स्क्रिप से बाहर करने सहित, प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2023, के पैरा 4.94 के अनुसार उपाय किए जाएंगे।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: निर्यात संवर्धन और व्यापार में सुगमता लाने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक आरओडीटीईपी रिटर्न (एआरआर) दाखिल करने के लिए अवधि को 15,000/- रुपये के संयोजन शुल्क के साथ दिनांक 30.11.2025 से 31.03.2026 तक बढ़ाया गया है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th February, 2026

No. 46/2025-2026

Subject: - Extension of filing Annual RoDTEP Returns-reg.

F. No. 01/61/180/166/AM24/PC-3.— In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the period for filing Annual RoDTEP Returns for Financial Year 2023-24 is further extended till 31.03.2026 with payment of a composition fee of Rs 15,000/-, effective from the date of publication of this Public Notice.

2. In case of non-filing of ARR by the extended date, measures will be taken in accordance with para 4.94 of the Handbook of Procedures (HBP), 2023, including denial of RoDTEP benefits and scroll-out of scrips.

Effect of this Public Notice: The period for filing of Annual RoDTEP Return (ARR) for FY 2023-24 has been extended from 30.11.2025 to 31.03.2026 with composition fee of Rs 15,000/- in the interest of ease of doing business and export promotion.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.